कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक / स्था. / 2026 / 72 दिनांक : 15.07.2026

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या 37 दिनांक 02.04.2026 गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर बांसवाड़ा न्यायक्षेत्र में वरिष्ठ मुन्सरिम के पद पर कार्यरत निम्न कर्मचारी को उनके नाम के आगे अंकित दिनांक से पे–मेट्रिक्स लेवल–16 (वेतन श्रृंखला 15600–39100, ग्रेड–पे 6600/–) में प्रोटोकॉल ऑफीसर कम प्रशासनिक अधिकारी के संवर्ग में तदर्थ एवं अस्थायी आधार पर छः माह के लिए निम्न शर्तो के अधीन पदोन्नत किया जाता है :–

क्र.स.	नाम कर्मचारी	देय पदोन्नति दिनांक
1.	श्री शहाबुद्दीन शेख	01.04.2026

शर्ते :–

1. उक्त अवधि में इनका कार्य व्यवहार संतोषजनक नहीं पाया जाने पर उन्हें बिना किसी नोटिस के पदावनत कर दिया जावेगा।
2. कर्मचारियों की वरीयता सूची के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति/परिवर्तन होता है तो तदनुसार यह पदोन्नति आदेश प्रभावित होगा।
3. अस्थाई पदों के समाप्त होने पर कनिष्ठतम कर्मचारी को पदावनत किया जावेगा।
4. कर्मचारी के पदस्थापन से संबंधित आदेश पृथक से जारी किया जावेगा।
5. कर्मचारी को पदोन्नति पर देय वित्तीय लाभ पदोन्नत पद पर ड्यूटी ज्वाईन करने की दिनांक से देय होगा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बांसवाडा (राज.)

क्रमांक / स्था. / 2026 / 8437–8439 दिनांक : 15.07.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. प्रभाराधिकारी लेखाशाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, बांसवाड़ा।
2. व्यक्तिगत पंजिका/सूचनार्थ श्री शहाबुद्दीन शेख।
3. स्थापना शाखा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बांसवाडा (राज.)